

1509-III/14

मनीराम धाकड़  
जिस मण्डल म.प्र. गवर्नलियर

मनीराम धाकड़ पुत्र गुलाव सिंह  
निवासी ग्राम पिपरसमा  
तहसील व जिला शिवपुरी -आवेदक  
विरुद्ध

रामभरोसे शर्मा पुत्र झींगुरिया  
निवासी ग्राम पिपरसमा  
तहसील व जिला शिवपुरी -अनावेदक

(निगरानी अंतर्गत धारा-50 - मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 -  
अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 73/13-14 अपील में पारित  
आदेश दिनांक 03-05-2014 के विरुद्ध)

महोदय

88  
39  
11/11  
12/11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 1509 / 111 / 14

जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
19.5.2014	<p>यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 73/2013-14 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 03-05-2014 के विरुद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।</p> <p>3/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्कों पर विचार करने एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 03-05-2014 के अवलोकन से पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी के समक्ष आवेदक ने तहसीलदार शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 6/अ-70/13-14 में पारित आदेश दिनांक 28-4-14 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत कर संहिता की धारा 52 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एवं स्थगन दिये जाने की मांग की, क्योंकि तहसीलदार शिवपुरी ने आदेश दिनांक 28-4-14 से ग्राम पिपरसमा स्थित भूमि सर्वे नंबर 1884 रकबा 0.540 हैक्टर पर आवेदक के चले आ रहे कब्जे को हटाने एवं रुपये 55836/- अर्थदण्ड वसूली के आदेश दिये हैं किन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 3-5-14 से स्थगन आवेदन निरस्त कर दिया।</p> <p>4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि ग्राम पिपरसमा</p>	